राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	निर्णय दिनांक
3040 / 2015(193 / 12)	11.02.2025

उनवानः

1. ओमप्रकाश पुत्र प्रहलादसिंह जाति अहीर
2. जयप्रकाश पुत्र प्रहलादसिंह जाति अहीर
3. सतीश कुमार पुत्र प्रहलादसिंह जाति अहीर सभी निवासी ग्राम माजरीखुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. सुग्रीव पुत्र श्योारायण जाति अहीर .....मृतक

1/1 सत्यवीर पुत्र स्व. सुग्रीव जाति अहीर
1/2 धर्मवीर पुत्र स्व. सुग्रीव जाति अहीर
1/3 रामकला पुत्री स्व. सुग्रीव जाति अहीर
1/4 गिन्दोडी पत्नी स्व. सुग्रीव जाति अहीर

2. चमेली पत्नी स्व. रतिराम जाति अहीर
3. सुरेश कुमार पुत्र रतिराम जाति अहीर
4. रणधीर पुत्र रतिराम जाति अहीर
5. रविन्द्र पुत्र रतिराम जाति अहीर
6. रवि पुत्र रतिराम जाति अहीर
7. राजीव पुत्र रतिराम जाति अहीर
8. रामदुलारी पत्नी महेन्द्र जाति अहीर
9. नवीन पुत्र महेन्द्र जाति अहीर
10. प्रवीणा पुत्र महेन्द्र जाति अहीर
11. वेदकला पुत्री रामकरण जाति अहीर
12. प्रेमदेवी पुत्री रामकरण जाति अहीर
13. राजेन्द्र पुत्र रामरतन जाति अहीर
14. ललित पुत्र रामरतन जाति अहीर
15. बिमला पुत्री रामरतन जाति अहीर
16. सावित्री पुत्री रामरतन जाति अहीर
17. गीता पुत्री रामरतन जाति अहीर
18. निधि पुत्री रामरतन जाति अहीर
19. भोलूराम पुत्र चिम्मनलाल जाति अहीर सभी निवासीग्राम माजरी खुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
20. उप पंजीयक मांढण (कोटपूतली–बहरोड) राज0

..... प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री मकरध्वज शर्मा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री पीताम्बर अधिवक्त प्रतिवादी सं0 13,14 व 19 की ओर से

दावा बाबत हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। दावे मे प्रतिवादी सं0 13 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया कि वादीगण द्वारा दावा झूठा एवं मनघढंत तथ्यो के आधार पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है जो वाद पत्र प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतो एवं विधि विरूद्ध है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 400 रकवा 31 एयर वाके ग्राम माजरी खुर्द बाबत वाद पेश किया गया है। वादीगण ने अपने दावा के जिमन नम्बर 3 मे यह कहा कि " आराजी मुतनाजा के मालिक वादीगण के पिता एवं प्रतवादीगण के बुजूर्ग थे जिन्होने आराजी मुतनाजा का आपसी बंटवारा कर लिया था जिस बंटवारा के मुताबिक दिनांक 07.07.1989 की डिक्री के मुताबिक अन्य खसरा नम्बरान के साथ उक्त खसरा नम्बर भी वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र श्री सम्पतराम के हिस्से मे आया था । अन्य खसरा नम्बरान का अमल तो राजस्व रिकार्ड मे हो गया लेकिन सहवन से इजराय मे उक्त खसरा नम्बर लिखने से रह जाने के कारण उक्त खसरा नम्बर वादीगण के पिता के नाम से दर्ज नही हो सका " उक्त तथ्य गलत है जबकि खसरा नम्बर 400 रकवाा 31 एयर हम प्रतिवादीगण के हक व हिस्से की आराजी है। हम प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर कदिम समय से खातेदार काश्तकारकाबिज है। इससे पहले हमारे बुजूर्गान उक्त आराजी पर खातेदार काबिज थें तथा वादीगण ने अपने जिमन नम्बर 4 मे उल्लख किया है कि दिनांक 23.05.2012 को राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी देखने पर उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी हुई जो तथ्य भी बिलकुल गलत है। क्योकि दिनांक 07.07.1989 की डिक्री के बाद वादीगण ने यह दावा लगाग 23 वर्ष पश्चात पेश किया है जो दावा मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है। खसरा नम्बर 400 रकवा 31 एयर जमाबान्दी संवत 2067 से 2070 मे बनारसी बेवा रामरतन राजेन्द्र ललित पुत्रान रामरतन के नाम खातेदारी दर्ज है एवं मौके पर हमारा ही कब्जा काश्त है इसी प्रकार से नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के हाल नम्बर 399 रकवा 36 एयर,400 रकवा 31 एयर साबिक खसरा नम्बर 800 मिन से बने है एवं जमाबन्दी संवत 2028,2032,2036, मे खसरा नम्बर 800 के खातेदार हम प्रतिवादीगण के बुजूर्ग श्योनारायण पुत्र भैरू, रामरतन,भोलूराम पुत्रान चिम्मन के नाम दर्ज है। संवत 2020 मे खसरा नम्बर 800 के साबिक खसरा नम्बर 549 मे श्योनारायण व चम्मन के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 400 रकवा 31 एयर हम प्रतिवादीगण एवं हमारे बुजूर्गो की खातेदारी की आराजी रही है। हाल राजस्व रिकार्ड एवं साविक रिकार्ड मे वादीगण एवं उनके बुजूर्गो के नाम से कोई खातेदारी दर्ज नही है लेकिन वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् को मुगालता मे रखते हुऐ उक्त अनुवानी दावा पेश किया गया है। वादीगण ने अपने दावा के जिमन नम्बर 8 मे यह स्पष्ट अंकित किया है कि दावाहाजा के लिएविनाय दावी व विनाय मुखास्मत दिनांक 23.05.2012 को पैदा हुई है जबकि उक्त आराजी बाबत दिनांक 07.07.1989 को डिक्री एवं इजराय के बावत वादीगण ने उक्त वाद पत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया है। इसलिए वादीगण को उन्ही खसरा नम्बरान की बाबत उसी न्यायालय मे पुनः वाद पेश करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण द्वारा यह दावा बिना हक व अधिकार के एवं बिना टाईटल के मियाद बाहर पेश किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की नकल वकील वादी को उपलब्ध करवाई गई। वकील वादी को जवाब प्रार्थना पत्र के काफी अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर वादी का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाकर पत्रावली मे उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 400 रकव 0.31 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। यह

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2011 से लगातार प्रतिवादीगण के बुजूर्गो एवं प्रतिवादीगण के नाम से चली आ रही है। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 07.07.1989 की पालना हो चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब दावा मे यह अंकित किया गया है कि निर्णय दिनांक 07.07.89 मे खसरा नम्बर 400 रकबा 0.31 है0 गलती से वादीगण के पिता प्रहलाद के हिस्से मे दर्ज कर दिया था। जिस गलती की जानकारी होने पर वादीगण के पिता द्वारा उक्त खसरा नम्बर 400 को इजराय की कार्यवाही से हटाकर शेष खसरा नम्बरान की पालना करवा ली गई। इसलिए खसरा नम्बर 400 हम प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी मे चला आ रहा है। वादीगण द्वारा दावा बहुत लम्बे समय बाद पेश किया गया है। देरी होने का कोई उचित कारण भी दावा मे अंकित नही किया गया है। इसलिए वादीगण द्वारा दावा मे वास्तविक तथ्यो को छुपाने का संदेह पैदा करता है। इस प्रकार पत्रावली के पूर्ण अवलोकन से प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 साबित होने के कारण स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादीगण द्वारा पेश **"दावा बाबत इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी "** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)
उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)